



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 905]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 1, 2003/आश्विन 9, 1925

No. 905]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2003/ASVINA 9, 1925

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2003

का०आ० 1146(अ).—केन्द्रीय सरकार, जैववैविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) को धारा 1 को उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्टूबर, 2003 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराएं प्रवृत्त होंगी, अर्थात् :—

- (1) धारा 1 और 2,
- (2) धारा 8 से 17 (दोनों सम्मिलित हैं)
- (3) धारा 48, 54, 59, 62, 63, 64 और 65

[फा. सं. जे-22018/46/2003-सीएससी (बीसी)]

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2003

S.O. 1146(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 2003 as the date on which the following sections of the said Act shall come into force, namely :—

- (1) Sections 1 and 2;
- (2) Sections 8 to 17 (both inclusive);
- (3) Sections 48, 54, 59, 62, 63, 64 and 65.

[F.No. J-22018/46/2003-CSC(BC)]

DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.